

## प्रारूप—क

### विद्युत दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिये प्रारूप

1. दुर्घटना की तारीख और समय .....
2. दुर्घटना का स्थान—  
(ग्राम/नगर, तहसील/थाना जिला और राज्य)
3. प्रदाय की पद्धति और वोल्टता .....  
(क्या ई० एच० वी०/एच० वी०/एल वी लाइन,  
सब स्टेशन, उत्पादन केन्द्र/उपभोक्ता प्रतिष्ठान/  
सर्विस लाईन/अन्य प्रतिष्ठान हैं)
4. जनरेटिंग कम्पनी/लाइसेन्सी के भारसाधक अधिकारी  
का पदनाम, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी।
5. स्वामी/ऊर्जा का उपभोग करने वाले का नाम,  
जिसके परिसर में दुर्घटना हुई थी।
6. पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) के ब्यौरे:—

(क) मानव

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पीड़ित व्यक्ति पुरुष/स्त्री	पूरा डाक पता	आयु लगभग	घातक/ अघातक
1	2	3	4	5	6	7

(ख) पशु

क्र.सं.	पशु (पशुओं का वर्णन)	संख्या	स्वामी (स्वामियों) का/के नाम	स्वामी (स्वामियों) का/के पता/पते	घातक/अघातक
1	2	3	4	5	6

- 7 यदि पीड़ित व्यक्ति प्रदाय कर्ता का/के कर्मचारी है/हैं  
तो :—
- (क) ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के पदनाम .....  
 (ख) किये गये काम, यदि कोई हो, का संक्षिप्त वर्णन .....  
 (ग) क्या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को वह काम करने  
के लिये अनुज्ञात किया गया था?
- 8 यदि पीड़ित व्यक्ति किसी अनुज्ञाप्तिधारी ठेकेदार का/के  
कर्मचारी है/हैं तो
- (क) क्या पीड़ित व्यक्ति/व्यक्तियों के पास विद्युत कर्मकार  
अनुज्ञा पत्र, पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण—पत्र था ? यदि, हाँ  
तो उसको जारी किये जाने का संख्याक और तारीख  
तथा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम दें। .....  
 (ख) ऐसे व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसने पीड़ित व्यक्ति  
(व्यक्तियों) को ड्यूटी सौंपी थी। .....
- 9 यदि दुर्घटना जनरेटिंग कम्पनी/लाइसेन्सी की प्रणाली में हुई हैं  
तो क्या कार्य करने का अनुज्ञा पत्र (पी.टी.डब्लू.) लिया गया  
था?
- 10 (क) क्षति की प्रकृति और विस्तार उदाहरणार्थ घातक/शरीर  
के किसी भाग की निःशक्तता (स्थायी या अस्थायी) या  
जलना या अन्य क्षतियों के बारे में विस्तार से बतायें?  
 (ख) यदि घातक दुर्घटना हुई थी तो क्या शव परीक्षा की गयी  
थी?
- 11 दुर्घटना होने के ब्यौरेवार कारण (ब्यौरा इस प्रपत्र के साथ  
संलग्नक एक अलग शीट में दिया जाये)। .....
- 12 दुर्घटना होने के तुरन्त पश्चात प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय  
परिचर्या आदि की बाबत की गयी कार्यवाही (ब्यौरे दें)। .....
- 13 क्या दुर्घटना के बारे में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस  
थाना को सूचित किया गया है? (यदि हाँ तो ब्यौरे दें)  
.....
- 14 जहाँ तक संभव है उस सीमा तक दुर्घटना से सम्बन्धित साक्ष्य  
को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी?  
.....
- 15 उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का/के नाम और पदनाम जो मरने  
वाले या घायल व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता का पर्यवेक्षण  
कर रहे थे। .....
- 16 जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है/हुए हैं क्या उसे/उन्हें सुरक्षा  
उपस्कर दिये गये थे और उनके द्वारा उनका उपयोग किया  
गया था? (उदाहरणार्थ—रबड़ के दस्ताने, रबड़ मैट, सुरक्षा  
पेटियां और सीढ़ियां आदि)

- 17 क्या पृथक कारी स्विचों और अन्य अनुविभागीय युक्तियों को उन पर कार्य करने के लिये अनुभागों को निष्क्रिय करने के लिये नियोजित किया गया था? कार्यकरण अनुभाग को कार्यस्थल पर भूयोजित किया गया था। .....
- 18 क्या विद्युन्मय लाईनों पर कार्य प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया गया था? यदि हां तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पदनाम दिये जायें?
- 19 क्या ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को जो विद्युत दुर्घटना से ग्रस्त हुआ था/हुए थे उसे/उन्हें कृत्रिम पुनर्जीवन उपचार किया गया था यदि हां तो उसे/उसके परित्याग से पूर्व कब तक दिया जाता रहा था?
- 20 दुर्घटना के समय जो व्यक्ति उपस्थित साक्षी थे उनके नाम और पदनाम .....
- 21 कोई अन्य जानकारी/टिप्पणियां .....

स्थान

हस्ताक्षर

समय

नाम

तारीख

पदनाम

रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता